



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

डा. पी. सी. अलेकजेंडर

का

## आभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

१६ मार्च १९९८

C

C

C

माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवम् सदस्यगण,

राज्य विधानमंडल के वर्ष १९९८ के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। महाराष्ट्र में सत्ता ग्रहण के बाद, मेरी सरकारने अब तीन वर्ष पूरे किये हैं। माननीय सदस्यों को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत तीन वर्षों में, राज्य ने सतत सभी क्षेत्र में खासकर औद्योगिक विकास, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, कृषि, झोपडपट्टी पुनर्विकास और शिक्षा के संबंध में, सामाजिक और आर्थिक विकास साध्य किया है। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं।

विकास के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हमारी नीतियों का स्पष्ट तौरपर प्रतिपादन करके, मेरी सरकारने इस वर्ष में उनके कार्यान्वयन हेतु, सुनियोजित और प्रभावी कदम उठाया है।

२. ८ अगस्त १९९७ को मुंबई स्थित ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में हमारे देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित करने का खास बहुमान महाराष्ट्र को मिला है। इसी उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिये, ५० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। जिसमें से २५ लाख रुपये प्रत्येक कलक्टर को पहले ही दिये हैं।

३. देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ इस राज्य में भी, बारहवीं लोकसभा के सदस्य चुनने हेतु चुनाव हुआ। राष्ट्रविरोधी कृत्य करनेवाले कुछ दुष्ट तत्वों द्वारा चुनाव में बाधा डालने का प्रयास किये जाने के बावजूद, इस बार भी यह चुनाव परिपूर्णरीत्या, निष्पक्षतापूर्वक और शांति से कराने में मेरी सरकार सफल रही है।

४. सालभर, राज्य में कानून और व्यवस्था, सामान्य तौरपर, शांतिपूर्ण और संतोषप्रद रही।

५. लंबे अरसे से अनिर्णित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक हुई और भारतीय स्वतंत्रता के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में इस मसले पर मैत्रीपूर्ण भाव से हल ढूँढ़ निकालने पर सहमति हुई है।

६. विकास परियोजनाओं हेतु स्रोत उगाहने के साधारण तरीके को बदलकर मेरी सरकारने पूँजी बाजार का सहारा लिया और बांड जारी करके लगभग २,५०० करोड़ रुपये निधि जमा करने में हम सफल हुए। इस कार्य से पीने के पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई, सड़क, पूल क्षेत्र और उर्जा सेक्टर में मूलभूत परियोजनायें शीघ्र पूरी हो सकेंगी। बांड जारी करने को मिला यह प्रतिसाद, लोगों का राज्य में विकासात्मक नीतियों में विश्वास का प्रतीक है। इस उपाय से राज्य के विकास को निश्चित गति मिलेगी।

७. महत्त्वपूर्ण मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्ग का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा तेजगति से शुरू किया गया है। इस मार्ग के अलावा मुंबई-नासिक, मुंबई-अहमदाबाद और मुंबई-गोवा इन तीन द्रुतगति मार्गों का काम भी जल्द-से-जल्द शुरू करने का मेरी सरकार का इरादा है।

उसी तरह मुंबई शहर में ५५ उड्डान पूल के निर्माण का धड़क कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

राज्य के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के ५०० से अधिक जनसंख्यावाले और अन्य क्षेत्रों के १००० से अधिक जनसंख्यावाले लगभग ९९ प्रतिशत गाँव बारमाही सड़कों से जोड़े गये हैं और अबतक ७०,४७६ किलोमीटर सड़कों का डांबरीकरण किया गया है।

८. राज्य के विभिन्न प्रदेशों के संतुलित और उचित विकास हेतु मेरी सरकार वचनबद्ध है। इसलिये विभिन्न प्रदेशों के विकास से संबंधित विशेष कार्यक्रम वह तेज गति से कार्यान्वित कर रही है।

विदर्भ, मराठवाडा और शेष महाराष्ट्र के लिए स्थापित सांविधिक विकास बोर्ड इन प्रदेशों के संतुलित और पर्याप्त विकास हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उनकी विशिष्ट योजनाओं के लिए १९९८-९९ की वार्षिक योजना में १०० करोड़ रुपये रखे जाये, ऐसे निदेश मैंने मेरी सरकार को दिये हैं। विदर्भ, मराठवाडा और शेष महाराष्ट्र के विकास का अनुशेष दूर करने के लिए वर्ष १९९८-९९ में ११०० करोड़ रुपयों का अलग प्रावधान करने का निदेश भी मैंने दिया है।

९. महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास की दृष्टि से नौ कृषि बहुचिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं। कृषि संबंधी आधुनिक तकनीक से महाराष्ट्र के किसानों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से, अकोला में इजरायल सरकार के सहयोग से कपास उत्पादन तकनीक प्रदर्शक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को १०,००० किसानों ने भेंट दी है।

अपनी सीमित सिंचाई क्षमता को ध्यान में रखकर, मेरी सरकारने टपकन सिंचाई को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के अंत तक, कुल १,२५,००० हेक्टर से भी अधिक क्षेत्र टपकन सिंचाई के तहत होगा। इस बारे में, महाराष्ट्र समुच्चे देश में अग्रणी है।

१०. वर्ष १९९८-९९ में थाने, रायगड, परभणी, अकोला और जालना इन पाँच जिलों में एकीकृत दुर्घट उद्योग विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा।

११. मेरी सरकार ने सिकॉम, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास निगम और सिंगापुर स्थित एक कंपनी के सहयोग से, मुंबई स्थित तारापोरवाला मत्स्यालय में एक अत्याधुनिक समुद्रसृष्टि निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह योजना जो कि पूर्णतया विदेशी निवेश से वित्तपोषित है और उम्मीद है कि यह वर्ष २००० तक पूरी होगी और पर्यटन और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आकर्षण करनेवाली साबित होगी।

मेरी सरकार ने, राज्य में मत्स्य व्यवसाय विकास के लिए मछुवाही बंदरगाह, लघु जेटी, मछली सुखाने के प्लेटफार्म और शीतागार आदि जैसी सुविधा, प्राथमिकता देकर मुहैया करने का निर्णय लिया है।

१२. इस सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए बढ़ती अन्तर राज्यीय-प्रतियोगिता के बावजूद देश के औद्योगिक विकास क्षेत्र में महाराष्ट्र अग्रणी बना हुआ है। चूंकि १९९१ से प्राप्त औद्योगिक उद्यम ज्ञापन, आशय पत्रों और शत प्रतिशत निर्यात अभियुक्त उद्योगों के आवेदन जिनकी कुल ६,४०५ संख्या, देश के किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। सीधे विदेशी निवेश संबंधी मान्य प्रस्तावों की संख्या के बारे में भी, हमारा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है। यह राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नयी योजनाएँ खोज निकालने में गर्व करता रहा है।

मेरी सरकारने राज्य में बृहत् परियोजना लाने हेतु एक खास प्रोत्साहन योजना तैयार की है। जिसके फलस्वरूप, युरोप के दो बड़े कार निर्माताओं ने अपनी कार योजनाओं के लिए, महाराष्ट्र को चुना है। जिनमें से एक ने कार्य की शुरुआत भी की है यह संतोषप्रद है।

१३. दाभोल विद्युत परियोजना का कार्य काफी प्रगति पर है और १९९८ के अंत तक, ७४० मेगावॉट क्षमता उपलब्ध होने की संभावना है। इसके अलावा दूसरे चरण की १४४४ मेगावॉट बिजली क्षमता वर्ष २००१ तक प्राप्त होने की उम्मीद है। कुल १४९२ मेगावॉट क्षमता की निजी क्षेत्र की अन्य दो बिजली परियोजनाएँ आगामी वर्ष में शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही, बिजली उपलब्धता और अधिक बढ़ाने के लिए लगभग ११०० मेगावॉट बिजली पैदा करने हेतु मध्यम आकार की, अलग-अलग सात स्वतंत्र विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की योजना है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने भी नये बिजली पैदा करनेवाले केन्द्र स्थापित करने हेतु कदम उठाया है। इससे न केवल राज्य की बढ़ती हुई बिजली की माँग पूरी होगी बल्कि इससे राज्य अपनी अतिरिक्त बिजली निकट भविष्य में पड़ोसी राज्यों को दे सकेगा।

१४. मेरी सरकारने कृषक कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में ८३ लाख से अधिक कृषक कर्मकार इसका लाभ उठायेंगे। बिड़ी कर्मकारों की मजदूरी दर में पहले ही सुधार किया गया है। जिसका ३.५ लाख से अधिक बिड़ी कर्मकारों को लाभ हुआ है।

१५. राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास करने की दृष्टि से, मेरी सरकार ने सभी जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। प्रथमतः कुछ जिलों में नवीन हवाई पट्टी बनाने और विद्यमान हवाई पट्टी में सुधार करने का निर्णय लिया है। गडचिरोली, बुलढाणा, सिंधुदुर्ग, महाड, शिर्डी, परभणी और परळी में नवीन हवाई पट्टियाँ बनायी जायेंगी। गोंदिया, किनवट और सांगली में, विद्यमान हवाई पट्टी में सुधार किया जायेगा। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को, विद्यमान हवाई-पट्टी में सुधार करने और नवीन हवाई-पट्टी बनाने का कार्य सौंपा गया है।

१६. मेरी सरकारने स्वतंत्रता सेनानीयों का वर्तमान निवृत्ति वेतन प्रतिमाह १,००० रुपयों से बढ़ाकर १,५०० रुपये करने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी देनेवाले स्वतंत्रता सेनानीयों की स्मृति निरन्तर बनाए रखने के लिये, अब तक २०६ शहीद स्मारक बनाये गये हैं। मेरी सरकारने, इन स्मारकों की समुचित देखभाल और रखरखाव की रकम प्रति वर्ष २,६५० रुपयों से बढ़ाकर १०,००० रुपये करने का निर्णय लिया है।

१७. मेरी सरकार को इस बात का फ़क्र है कि ७६० कि.मी. लंबाई की कोकण रेल परियोजना पूरी हुई है। इससे संपूर्ण कोकण प्रदेश के आर्थिक विकास को पूर्ण बढ़ावा मिलेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर, ऐतिहासिक स्मारक और पारंपरिक कला और कारीगरी से परिपूर्ण सिंधुदुर्ग जिला “पर्यटन जिला” घोषित करने का मेरी सरकारने निर्णय लिया है।

१८. चालू वित्तीय वर्ष में २३ जिलों के १७८ तालुकाओं में १६,७०६ खरीफ गाँव अभावग्रस्त हुए हैं। मेरी सरकारने अभावग्रस्त लोगों को समुचित सहायता दी है। उसी तरह अतिवृष्टि, बाढ़ और ओला पड़ने से हानि पहुँचे लोगों को मेरी सरकारने आर्थिक सहायता दी है।

मेरी सरकारने भूतपूर्व खांडकरियों को भूमि लौटाने संबंधी लम्बे अरसे से लंबित मसले का हल ढूँढ निकालने का निर्णय लिया है।

१९. बोरिवली रिथत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ५० एकड़ भूमि पर “टाइगर सफारी” बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रोजेक्ट का काम

शुरू किया जा चुका है और उम्मीद है कि यह विहार सितम्बर १९९८ तक जनता के लिए खोला जा सकेगा।

२०. शैक्षणिक वर्ष १९९७-९८ से, मेरी सरकारने, सभी विद्यालयों में पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है।

छात्रों में अनुशासन, नेतृत्व, भाईचारा, खिलाड़ीपन, समाजसेवा और देशभक्ति की भावना लाने के लिए, राज्य में नौवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए, राष्ट्रीय छात्रसेना की तरह “महाराष्ट्र छात्र सेना” नामक नई योजना शुरू की गई है।

पहले ही शुरू किये गये दस सैनिक विद्यालयों के अलावा, इस वर्ष, अहमदनगर और औरंगाबाद में और दो नए विद्यालय शुरू करने की अनुमति दी गई है। रायगड़ में नौसैनिक विद्यालय खोलने की भी अनुमति दी गई है।

सन् २००० तक पूरे राज्य को साक्षर बनाने के राज्य सरकार के ठोस वादे को पूरा करने की दृष्टि से काफी प्रगति की गई है। इसके अलावा, दस जिलों में, साक्षरोत्तर अभियान के भाग के रूप में पुनश्चर्या कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

२१. राज्य के प्रत्येक तालुका में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का मेरी सरकारने निर्णय लिया है। इस वर्ष ५९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की गई हैं। जिससे राज्य में इन संस्थाओं की कुल संख्या ३०० हो गई है।

केंद्र सरकारने वर्धा में अन्तर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है और मेरी सरकारने उसके लिए, ४५.३६ हेक्टर भूमि उपलब्ध कराना मान्य किया है।

२२. नगर निगमों के स्थानीय स्वशासन को अधिक मजबूत बनाने के लिए, मेरी सरकारने मुम्बई और नागपुर शहरों में, सपरिषद महापौर पद्धति कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। नागपुर में यह पद्धति कार्यरत भी हो गई है।

मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुम्बई शहरी परिवहन प्रोजेक्ट-दो के रेलवे घटकों के कार्यान्वयन के लिए रेलवे और राज्य सरकार इन दोनों की समान सहभागिता से, मुम्बई रेल विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लेकर हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुम्बई शहरी परिवहन प्रोजेक्ट-दो से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वसन के लिए, एक परियोजना भी हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

२३. मेरी सरकारने, महाराष्ट्र में वर्ष १९९८ को “महिला वर्ष” के रूप में घोषित किया है। महिलाओं के लिए एक नई दूरगामी नीति तैयार की जा रही है और जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से वर्ष १९९८-९९ में एकीकृत बाल विकास सेवा प्रोजेक्ट-तीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत १४,७४२ नई आंगनवाड़ियाँ खोली जायेंगी और १८,४२,७५० लाभार्थियों को पूरक आहार और स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराई जायेंगी। इस प्रकार पूरे राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का विस्तार होगा।

मेरी सरकारने, देवदासियों को दिया जानेवाला मासिक निर्वाह वेतन १०० रुपये से बढ़ाकर ३०० रुपये कर दिया है।

कामधेनु योजना के तहत स्थानीय औद्योगिक युनिटों के सहयोग से, जरुरतमंद महिलाओं को उनके घरों पर ही काम मुहैया किया जा रहा है।

२४. महाराष्ट्र के सभी जिला न्यायालयों में मराठी भाषा का प्रयोग करने के प्रति मेरी सरकार वचनबद्ध है और इस नीति के अनुसरण में, ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ताकि दिसम्बर १९९९ तक यह लक्ष्य हासिल किया जा सके।

२५. कृष्णा घाटी में सिंचाई क्षमता पैदा करने की परियोजनायें विहित समय में पूरा करने हेतु, कृष्णा घाटी विकास निगम की स्थापना की गई थी, उस अनुभव के आधारपर, मेरी सरकार अब, विदर्भ, कोंकण और तापी घाटी में सिंचाई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इसी प्रकार के कार्यतंत्र को दोबारा अपना रही है। इसके परिणामस्वरूप जून १९९८ तक लगभग १,७०,००० हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की जा सकेगी। गोदावरी घाटी के लिए भी इसी प्रकार की योजना बनाने का प्रस्ताव है।

२६. मेरी सरकारने, पाँच अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य जून १९९५ की दरों पर ही स्थिर रखने के अपने वादे को इस वर्ष भी निभाया है और इस वर्ष, इस प्रयोजनार्थ लगभग १६० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

१ जून १९९७ से कार्यान्वित की जा रही लक्ष्यगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के पात्र राशन-कार्ड धारकों को, सामान्य दर से आधे दर पर, प्रतिमाह प्रत्येक कार्ड पर, दस किलोग्राम अनाज की आपूर्ति की जा रही है.

गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम-से-कम एक बार भोजन मिल सके यह सुनिश्चित करने के लिये शुरू की गई विद्यमान झुणका भाकर योजना में, मेरी सरकारने यथोचित सुधार करने के लिए कार्यवाही की है.

२७. मेरी सरकार गंदी बरतीवासियों के लिए "मुफ्त आवास योजना" कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्ध है. इस योजना के कार्यान्वयन को अधिक गति देने के लिए, महाराष्ट्र गृहनिर्माण तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इसमें और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निश्चय किया है. इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं.

गन्दी बरतीवासियों की समस्या के साथ ही मेरी सरकार, मुंबई शहर में स्थित १८,००० से भी अधिक पुरानी उपकरित इमारतों में रहने वाले किराएदारों की समस्या को दूर करने का प्रयत्न कर रही है. इन समस्याओं का हल ढूँढने के लिए, नियुक्त किये गये अध्ययन दल, की रपट के आधार पर, शहर का योजनाबद्ध तरीके से नूतनीकरण करने और पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण करने की पैकेज योजना घोषित की गई है. जिससे इन इमारतों के मौजूदा किराएदारों को, अपने स्वामित्व का फ्लैट दिया जायेगा. महाराष्ट्र गृहनिर्माण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम और मुंबई विकास नियंत्रण नियम में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं. मुंबई उपनगर की पुरानी और जर्जर इमारतों की समस्याओं के बाबत, क्या किया जा सकता है इस बारे में सुझाव देने के लिए, एक अलग अध्ययन दल नियुक्त किया जा रहा है.

२८. मेरी सरकार, गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देती रही है. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि

और भारत सरकार की सहायता प्राप्त महाराष्ट्र कृषि साख प्रोजेक्ट, पुणे, नांदेड, यवतमाळ और चन्द्रपुर इन चार जिलों में, जहाँ यह शुरू किया गया था, पिछले तीन वर्षों में उसका अच्छा नतीजा सामने आया है। अब यह कार्यक्रम, भंडारा, गडचिरोली, अमरावती, धुले, जलगांव और थाना इन छह जिलों में शुरू किया जायेगा। इन सभी जिलों में, युनिसेफ और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित “समूह कृति संगम” नामक एक अभिनव कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा।

२९. सामाजिक वनीकरण और लघु सिंचाई कार्य के साथ, राज्य सरकारने, जलसंभर के आधारपर भूमि का विकास करने की नीति अपनाई है। जहाँ टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाती है ऐसे १९७३ गाँवों की पेयजल की समस्या पूरी तरह और १३३८ गाँवों की पेयजल की समस्या अंशतः हल कर दी गई है। १९७७-७८ के विच्चीय वर्ष में टैंकर से पानी की आपूर्ति किये जानेवाले ११०३ गाँवों में जलसंरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए, गत वर्षों की तरह, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

३०. बदलते सामाजिक परिवेश में, बुजुर्ग नागरिकों की समस्याओं पर राज्य को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखकर, १९९६ में शुरू की गई मातोश्री वृद्धाश्रम योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में और नासिक जिले के सामंतगाव में, वृद्धाश्रमों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अन्य २५ वृद्धाश्रमों का काम लगभग पूरा हो चुका है।

मेरी सरकारने, पिछले वर्गों के हितार्थ कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की है और अनुसूचित जाति समुदाय की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। पिछले वर्गों के कल्याण के लिए, कार्यक्रम कार्यान्वित करनेवाले चार निगमों की प्राधिकृत शेयर-पूंजी में, सरकारने भरपूर बढ़ोत्तरी की है।

३१. अच्छे दर्जे की मराठी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मेरी सरकारने प्रोत्साहन परक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें, हर

फिल्म को १५ लाख रुपये का अनुदान और मुम्बई और कोल्हापुर की फिल्म नगरी में स्थित स्टुडिओ, बाहरी लोकेशन और उपकरणों आदि. के किराये में ५० प्रतिशत छूट शामिल है. ये फिल्मे मनोरंजन शुल्क से मुक्त की गई हैं. अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के पैनोरमा में समाविष्ट की जानेवाली मराठी फिल्मों को, मेरी सरकार, नकद एक लाख रुपये पुरस्कार देगी.

३२. माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी तैयार करने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु, मेरी सरकारने श्री शिवचत्रपति क्रीड़ापीठ की स्थापना की है. यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि, इसके तहत गड्चिरोली सहित ११ जगहों पर क्रीड़ा प्रबोधिनी स्थापित की गई हैं और उसमें ८ से १४ वर्ष के ५३४ बालक-बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

३३. मेरी सरकार यह जानती है कि हृदय, मूत्रपिंड, मस्तिष्क और मज्जातंतु से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए, आवश्यक शल्यचिकित्साओं का महंगा खर्च मरीज वहन नहीं कर पाते हैं. मेरी सरकारने “ जीवनदायी आरोग्य योजना ” शुरू की है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के अधिवासी गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों की इसप्रकार की शल्यचिकित्सा, निःशुल्क की जा सकेगी.

“ सन् २००० तक सभी के लिए आरोग्य ” का लक्ष्य पाने के लिए आरोग्य दायिनी सेवा की एक बृहत योजना चालू वित्तीय वर्ष से चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है.

३४. राज्य में चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए, मेरी सरकारने नासिक में आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है. चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय की एक विश्वविद्यालय इकाई ने, विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये विभिन्न व्यौरों पर कार्य करना शुरू किया है.

३५. नव संजीवन योजना के कारगर कार्यान्वयन और पूरक आहार अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के कारण अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में बाल मृत्यु की दर में काफी कमी आयी है.

३६. १९९७ के नवंबर/दिसंबर में हुई बेमौसम भारी वर्षा से प्रभावित कपास उत्पादकों को राहत पहुँचाने के लिए मेरी सरकारने अब तक पांच श्रेणियों में वर्गीकरण किये जाने वाले कपास को इस मौसम में केवल दो श्रेणी में वर्गीकरण करके खरीद करने का और खरीदी मूल्य, एक किस्त में अदा करने का निश्चय किया है।

३७. राज्य के सभी गाँवों और शहरों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सन् २००० तक सभी जिलों को “टॅकर मुक्त” करना महत्वपूर्ण होगा। जल आपूर्ति योजनाओं में निवेश हेतु अधिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए, मेरी सरकारने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मार्फत प्रथम शेयर बिक्री के जरिए खुले बाजार से २९९ करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष पाँच लाख शौचालयों का निर्माण करने का हमारा कार्यक्रम प्रगति पर है। सन् १९९६-९७ में ३.९६ लाख शौचालयों का निर्माण किया गया था।

३८. मेरी सरकारने निश्चय किया है कि आगामी तीन वर्षों में १५ लाख नये रोजगार के अवसर पैदा किये जाएँ। इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, “रोजगार तथा स्व-रोजगार” नामक एक अलग विभाग ने कार्य करना शुरू किया है।

३९. मेरी सरकारने स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने का वादा किया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन की श्वेतपत्रिका प्राथमिक स्तर पर तैयार की गई है और व्यापक चर्चा के लिये प्रचारित की गयी है। श्वेत पत्रिका में सुझाये गये उपायों के अनुसार प्राथमिक स्वरूप का काम शुरू किया जा चुका है।

उपयुक्त जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन में कम्प्यूटर लाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। मेरी सरकारने निर्णय प्रक्रिया की गुणवत्ता और गति में सुधार लाने के लिये प्रशासन में उचित स्थान पर इस तकनीक का प्रयोग करने का सुनिश्चय किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए, मेरी सरकारने, अगले दो वर्षों में सरकार के संपूर्ण कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है।

४०. माननीय सदस्यों, इस सत्र में आपको, अनुपूरक माँगों, सन् १९९८-९९ का बजट, लेखानुदान, कितिपय अध्यादेशों को अधिनियमों में बदलने हेतु विधेयक, प्रलंबित तथा नये विधेयक और अन्य अत्यावश्यक सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्य पर जो आपके समक्ष विचार-विमर्श के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे, उन पर विचार करना है। इस विचार-विमर्श में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !



